न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

दायरा दिनांक 28.12.2018

राजस्व वाद संख्याः 2018/386

वादी		प्रतिवादीगण
1 बाबू खॉ पुत्र पन्नेखॉ जाति कायमखानी उम्र 66 वर्ष निवासी चुगनी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. उम्मेदखॉ पुत्र पन्नेखॉ जाति कायमखानी उम्र 75 वर्ष निवासी खुनखुना की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 2. केशरबानो पत्नि मंगेजखॉ उम्र 60 3. यासिनखॉ पुत्र मंगेजखॉ उम्र 35 4. अजीजखॉ पुत्र मंगेजखॉ उम्र 33 5. मोहम्मद शरीफ पुत्र मंगेजखॉ 6. हजूर बानो पुत्री मंगेजखॉ उम्र 40 7. मोती खॉ पुत्र पन्नेखॉ 8. मुन्शी खॉ पुत्र पन्नेखॉ समस्त जाति कायमखानी निवासी चुगनी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 9. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्

दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री ईस्लामुदीन उपस्थित ।
2. प्रतिवादी सं0 07,ता 08 की और से अधिवक्ता श्री तेजपाल राठी उपस्थित ।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **06.02.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 की सहखातेदारी सुदा खेत ग्राम चुगनी पटवार क्षेत्र छापरी खुर्द मे ख. न. 136 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा, ख. न. 138 रकबा 02 बीघा, ख. न. 139 रकबा 24 बीघा 05 बिस्वा, ख. न. 148 रकबा 09 बीघा 07 बिस्वा, ख. न. 149 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, ख. न. 151 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा, ख. न. 152 रकबा 10 बिस्वा, ख. न. 212/126 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 87 बीघा 08 बिस्वा, अवस्थित है। जिसमे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 08 का खेत हक हिस्सा संयुक्त सहखातेदारी सुंदा दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की खतौनी नकल संलग्न पेश है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 का संयुक्त सहखातेदारी सुंदा खेत ग्राम चुगनी के ख. न. 136, 138, 139, 148, 149, 151, 152, व 212/126 खतौनी में दर्ज सुंदा है।उक्त खेत वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पुर्वज पिता पन्नेखॉ का रहा है।पन्नेखॉ के उम्मेदखॉ, मंगेजखॉ, बाबूखॉ, मोतीखॉ, मुन्शीखॉ सन्तान हुई।जिसमे से उम्मेदखॉ बच्चपन मे ही करीबन 02–03 वर्ष की आयु मे ही अपने ननिहाल खुनखुना मे अपने मामा रहीमखॉ, पन्नेखॉ पिता सजवारखॉ निवासी खुनखुना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

की ढाणी के गोद चले गये चुकि उम्मेदखॉ के मामा रहीमखॉ व पन्नेखॉ के उस वक्त संतान नही थी।इसलिए उम्मेदखॉ उनके पास गोद जाकर दत्तक पुत्र की हैसियत से रहने लगे तथा रहीमखॉ व पन्नेखॉ ने ही उम्मेदखॉ का लालन–पालन व भरण पोषण अपने साथ रख कर किया जिसके पश्चात रहीमखॉ व पन्नेखॉ के सन्तान उत्पति हो गयी फिर भी रहीमखॉ व पन्नेखॉ ने उक्त भान्जे को अपनी सम्पति मे हक हिस्सा देते हुए अपनी सम्पति खेत ख. न. 279 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा मौजा आगून्ता का बख्शीश उम्मेदखॉ के नाम करवा दिया जिससे उक्त खेत तत्कालिन समय से वर्तमान तक उम्मेदखॉ प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी कब्जा काश्त सुदा है।उक्त रहीमखॉ व पन्नेखॉ ने उम्मेदखॉ के पक्ष मे बक्शीश नामा सन् 1970 मे निष्पादित किया जिसमें भी स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित है कि उम्मेदखॉ भांजा है।जो बच्चपन से ही हमारे पास मे रहता है, जिसकी परवरिस हमसे पाई है।और जायदाद का इन्तजाम करना जरूरी है इसलिए हमारी खातेदारी का खेत मौजा आगून्ता के खेत ख. न. 279 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा को रजामन्दी के साथ उम्मेदखॉ प्रतिवादी संख्या एक को बक्शीश कर दिया तथा इसी प्रकार से नामान्तरण मे भी बक्शीशनामा से रहीमखॉ, पन्नेखॉ के स्थान पर उम्मेखॉ का नाम खातेदारी मे दर्ज हुआ, इस प्रकार उक्त बक्शीशनामा राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्पष्ट रूप से प्रमाणित साबित है कि प्रतिवादी संख्या एक उम्मेदखॉ बचपन मे ही अपने बच्चपन मे ही अपने ननिहाल चला गया और वहॉ अपने मामा की सम्पति मे से हिस्सा प्राप्त कर लिया तथा शुरू से ही अपने पिता की सम्पति व संरक्षण का त्याग कर दिया जिस कारण से कानूनन् प्रतिवादी संख्या एक उम्मेदखॉ अपने पिता की सम्पति मौजा चुगनी मे अवस्थित मे से हक हिस्सा प्राप्त करने का कतई अधिकारी नही है।जिससे मौजा चुगनी के ख. न. 136, 138, 139, 148, 149, 151, 152, व 212/126 कुल रकबा 87 बीघा 08 बिस्वा, मे वादी बाबूखॉ व मगेजखॉ व प्रतिवादी संख्या 07 मोतीखॉ, व प्रतिवादी संख्या 08 मुन्शीखॉ का प्रत्सेक का 1/4 हिस्सा हक अवस्थित है।जिसमे खातेदार मंगेजखॉ फौत होने से उनके वारिसान खातेदार प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 का 1/4 हिस्सा अवस्थित है।उक्त भूमि मे से खसरा नम्बर 151 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे से मंगेजखॉ, मोतीखॉ द्वारा अपना हिस्सा हकतर्क करने पर उनके स्थान पर बाबूखॉ, मुन्शीखॉ का हिस्सा दर्ज गया, जिसके खसरा नम्बर 151 मे 1/2 हिस्सा बाबूखॉ का व 1/2 हिस्सा मुन्शी खॉ का अवस्थित है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाकर घोषणा खातेदारी किया जाना लाजमी है।जिस हेतु वाद पत्र लाया जाना आवश्यक हुआ है।प्रतिवादी संख्या एक चालाकी पुर्वक बदयान्ति स राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर चुगनी की भूमि मे फौतगी म्युटेशन मे स्वयं का नाम गलती व त्रुटि से दर्ज करवा लिया है लेकिन वास्तव में मौके पर भौतिक रूप से प्रतिवादी संख्या एक के पास ना ही कब्जा काश्त कभी रहा है और ना ही हक अधिकार कानूनन् बनता है।इसलिए रिकार्ड दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या एक का नाम खातेदारी मे से हटवाया जाना लाजमी है।वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 के पिता पन्नेखॉ ने अपने जीवन काल मे ही मौके पर भूमि का बन्टवारा करके मगेंजखॉ बाबूखॉ मोतीखॉ व मुन्शीखॉ प्रत्येक को बराबर 1/4 हिस्सा देकर मौखिक बन्टवारा भौतिक रूप से करके कब्जा सुपुर्द कर दिया था। जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 की मौके पर प्रत्येक के हक बन्ट मे अपना– अपना हिस्सा आया हुआ है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे उक्त खसरान सहखातेदारी मे चले आ रहे है जिनका विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस राजस्व रिकार्ड में अभी तक नही हुआ है।जिस कारण वादी को यह वाद पत्र बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से विधिवत बन्टवारा हेतु लाना लाजमी हुआ है।

वादग्रस्त खसरान मे वादी का हिस्सा बन्टवारा 1/4 हिस्सा बन्ट आया हुआ है।तथा प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 का भी उनका अलग–अलग हिस्सा बन्ट आया हुआ है।जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 ने अपने –अपने हिस्सा बन्ट भूमि मे अपने हिस्से में मौखिक रूप से बन्टवारा होने से अपने हिस्से की निवें सीवे कायम कर भोग उपभोग निरंतर निर्बाध रूप से करीबन पिछले 50–60 वर्षो से करते आ रहे है।इस प्रकार उक्त मौखिक भौतिक रूप से हुए बन्टवारे अनुसार काबिज है।जिसका विधिवत बन्टवारा किया जाना न्याय संगत है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी अपने हक हिस्सा खातेदारी सुदा में काबिज काश्त है। तथा मौके पर निवें सीवे कायम कर भोग उपभोग निरंतर निर्बाध रूप से वर्षो से करते आ रहे है।लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 अभी दो दिन पहले वादी के पास आये वादी को कहां कि हम रास्ते की तरफ की भूमि की प्लॉटिग करेगे जिसके लिए तुम अपने कब्जे से अपना कब्जा हटा लो, अन्यथा हम किसी भूमाफिया को बैचाण कर देगे जो तुम्हे जबरन बेदखल कर देगा।वादी अपने हिस्से मे काबिज काश्त है।लेकिन राजस्व रिकार्ड मे अलग–अलग हिस्सा का बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवारा नही हो रखा है।तथा प्रतिवादी संख्या एक ने खातेदारी मे गलत तौर पर नाम दर्ज करवा रखा है।जिसकी आड मे बैचाण करने पर आमादा है।तथा खातेदारी मे संयुक्त नाम होने से प्रतिवादीगण जबरन वादी को उसके हिस्से बेदखल कर अन्य भू माफिया को प्लॉटिग कर बैचाण करना चाहते है।तथा कीमती भूमि को हडपना चाहता है।तथा प्रतिवादी संख्या एक का उक्त भूमि मे हक हिस्सा नही होने से प्रतिवादी संख्या एक द्वारा बैचाण करना विधि विरूद्ध हैं ताकि मुकदमेबाजी नही बढे और ना ही विवाद पैदा हो इसलिए उक्त खसरान भूमि का राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती होकर विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस करवाया जाना लाजमी होने से यह वाद पत्र पेश है।

उक्त वर्णित वादग्रस्त खसरो मे से वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 का हिस्सा प्रत्येक का बन्टवारा सुदा है।इसलिए वादी की उक्त हिस्सा भूमि का विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से किये जाने मे किसी प्रकार की कानूनी बाधा नही है।तथा उक्त विधिवत बन्टवारा करवाने का वादी कानूनी रूप से अधिकारी है तथा उक्त खसरान भूमि सहखातेदारी की होने से प्रत्येक खसरान भूमि के प्रत्येक इंच पर वादी व प्रतिवादी संख्या 02 ता 08 का हक अधिकार होने से विधिवत बन्टवारा से पुर्व प्रतिवादीगण बैचाण, हस्तांतरण व प्लॉटिग करने के कतई अधिकारी नही है।और उक्त खसरा भूमि की वर्तमान मे किमत अधिक बढ जाने से प्रतिवादी संख्या एक वादी को अपने हिस्से से बेदखल कर रास्ते के नजदीक की भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिग कर वादी को अजहद नुक्शान पहॅुचाने पर आमादा है।इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना भी न्यायहित मे है।

प्रार्थना वादी है

कि घोषणा खातेदारी बन्टवारा स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी फरमावे कि मौजा चुगनी के ख. न. 136, 138, 139, 148, 149, 151, 152, व 212/126 कुल रकबा 87 बीघा 08 बिस्वा, मे से प्रतिवादी संख्या एक का नाम हटाया जाकर रिकार्ड दुरूस्ती करते हुए ख. न. 136, 138, 139, 148, 149, 152, व 212/126 मे वादी का हिस्सा बन्ट 1/4 व प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 का 1/4 हिस्सा बन्ट तथा प्रतिवादी संख्या 07 का 1/4 हिस्सा बन्ट व तथा प्रतिवादी संख्या 08 का 1/4 हिस्सा बन्ट हो और खसरा नम्बर 151 मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 08 का 1/2 हिस्सा बन्ट होकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त होकर उक्त अनुरूप विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस बन्टवारा किया जाकर उसी अनुरूप अमल दरामदगी किया जावें और स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करावे कि वादी के वादग्रस्त खसरान मे से हक हिस्सा बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से होने पर वादी को प्राप्त मौके भौतिक हिस्से मे प्रतिवादीगण हस्तक्षेप, व्यवधान नही करे और न ही हस्तातंरण बैचाण करें तथा दौराने वाद किये गये समस्त बैचाण व बेदखली, अतिक्रमण को निरस्त व खारिज फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 24.01.2019 को वादी तथा प्रतिवादी संख्या 07 व 08 ने राजीनामा पेश किया, राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री ईस्लामुदीन ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री तेजपाल राठी ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 व 09 बावजूद तामील के अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी बाबूखॉ व प्रतिवादी मोतीखॉ व मुन्शीखॉ की और से साक्ष्य शपथ –पत्र पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:–आदेश–:

हस्ब राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा चुगनी के ख. न. 136, 138, 139, 148, 149, 152, व 212/126 मे वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 07 का 1/4 हिस्सा व तथा प्रतिवादी संख्या 08 का 1/4 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 151 मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 08 का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा मौजा चुगनी के ख. न. 136, 138, 139, 148, 149, 151, 152, व 212/126 कुल रकबा 87 बीघा 08 बिस्वा, की खातेदारी मे से प्रतिवादी संख्या एक का नाम हटाया जाता है।उपरोक्त वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस किया जाता है। तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा वाद के संलग्न वादी द्वारा पेश राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: **2018/386**

दायरा दिनांक **28.12.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1 बाबू खॉ पुत्र पन्नेखॉ जाति कायमखानी उम्र 66 वर्ष निवासी चुगनी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. उम्मेदखॉ पुत्र पन्नेखॉ जाति कायमखानी उम्र 75 वर्ष निवासी खुनखुना की ढाणी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 2. केशरबानो पत्नि मंगेजखॉ उम्र 60 3. यासिनखॉ पुत्र मंगेजखॉ उम्र 35 4. अजीजखॉ पुत्र मंगेजखॉ उम्र 33 5. मोहम्मद शरीफ पुत्र मंगेजखॉ 6. हजूर बानो पुत्री मंगेजखॉ उम्र 40 7. मोती खॉ पुत्र पन्नेखॉ 8. मुन्शी खॉ पुत्र पन्नेखॉ समस्त जाति कायमखानी निवासी चुगनी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 9. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्
दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 06.02.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री, ईस्लामुदीन वादी उपस्थित व प्रतिवादीगण की और से, श्री तेजपाल राठी उपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, मौजा चुगनी के ख. न. 136, 138, 139, 148, 149, 152, व 212/126 मे वादी का हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 07 का 1/4 हिस्सा व तथा प्रतिवादी संख्या 08 का 1/4 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 151 मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 08 का 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है तथा मौजा चुगनी के ख. न. 136, 138, 139, 148, 149, 151, 152, व 212/126 कुल रकबा 87 बीघा 08 बिस्वा, की खातेदारी मे से प्रतिवादी संख्या एक का नाम हटाया जाता है।उपरोक्त वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस किया जाता है। तथा इसी अनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा वाद के संलग्न वादी द्वारा पेश राजीनामा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–..................
..खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.02..2019** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			थ्मजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

दिनांक 12-2-2019.

क्रमांक:-386-2018/रीडर/2019/140

प्रेषिति:-

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः -निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
दावा घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
हस्ब धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी		प्रतिवादीगण
1 बाबू खाँ पुत्र पन्नेखाँ जाति कायमखानी उम्र 66 वर्ष निवासी चुगनी तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. उम्मेदखाँ पुत्र पन्नेखाँ वगैराह

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner